

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./स्था.पद./2015/4636 जयपुर,दिनांक: 19/11/2015

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2642 दिनांक 30.06.2015 द्वारा श्री मुकुट बिहारी पारीक, पंचायत प्रसार अधिकारी का पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर से पंचायत समिति भिनाय (अजमेर) किया गया स्थानान्तरण, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि श्री पारीक तत्काल पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में कार्यग्रहण कर, पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जायेगी।

यह आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की आई.डी.संख्या 107/AS-I/AR/15 दिनांक 10.11.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
5. आचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर
6. विकास अधिकारी, पं.स. भिनाय (अजमेर)
7. आदेश में वर्णित पंचायत प्रसार अधिकारियों को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावे।
9. आदेश पत्रावली


अतिरिक्त आयुक्त